UPBN010020072026

Presented on : 11-03-2026
Registered on : 11-03-2026
Decided on : 16-03-2026
Duration : 0 years, 0 months, 5 days

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभा. क्षेत्र), बदायूँ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 611/2026

संतोष यादव बनाम स्टेट

मु.अ.सं. – 612/2025
धारा– 109 (1), 3(5) बी.एन.एस.
एवं धारा–3/25 (1–बी)ए/27 ए. एक्ट
थाना– सिविल लाइन, जनपद बदायूँ।

दिनॉकः 16–03–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त **संतोष यादव** पुत्र स्व. अजयपाल निवासी मो० मीरा सराय, देवनगर कालोनी, थाना सिविल लाइन जिला बदायूँ उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र ध्यानश्री की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानांक संक्षेप में इस प्रकार है कि फर्द गिरफ्तारी 03 नफर अभियुक्त (पुलिस मुठभेड) व जामा तलाशी व बरामदगी 03 अदद तमंचा देशी 315 बोर जिनकी नाल में फंसे 03 खोखे कारतूस व अन्य 04 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा प्रभारी निरीक्षक की बुलेटप्रूफ जाकेट मे लगी गोली का बुलट व एक पिस्टल लूटी हुई लाइसेन्सी मय मैगजीन मय 04 खोखा कारतूस तथा 50640 नगद व पीली धातु तथा सफेद धातु के जेवरात 01 कुर्ती 01 कैमरा 02 मोबाइल 01 घडी 01 लैपटाप व बिभिन्न रंग के खाली लिफाफे सम्बन्धित मु0अ0सं0 611/2025 धारा– 309 (4), 317(2) BNS व धारा 109 (1), 3 (5) बीएनएस व धारा 3/25(1–b) (a)/27 आर्म्स एक्ट बनाम दीपक गौतम उर्फ मौनू आदि 03 नफर थाना सिविल लाइन जिला बदायूँ। दिनाँक 23/12/2025 को जीडी नं0 25 समय 12.40 वजे पर मैं प्र०नि० हरेन्द्र सिंह पिस्टल HPY661 मय 10 कारतूस मय उ0नि0 गौरव कुमार मय पिस्टल 18441982 मय 10 कारतूस व हमराह का0 1887 विशाल राणा को देकर एक जरब एके 47 रायफल 8756 मय 20 कार० व का0 773 दीपक कुमार मय एक जरव इन्सास 18740798 मय 10 कार० मय गाडी सरकारी UP 32 EG 6135 चालक हे0का0 साहब सिंह के मु0अ0स0– 611/2025 धारा– 309 (4) BNS में वास्ते तलाश वांछित अभियुक्त व देखरेख शान्ति व्यवस्था / रोड व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम व पैडिंग मुकदमा मर्जुआत व जांच अहकामात व तलाश वांछित/वारन्टी व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/बैंक/एटीएम वित्तिय संस्थान, डियूटी व विभिन्न अभियान, स्कोर्ट व आदि में अन्दर इलाका क्षेत्र मामूर थे कि जब हम लोग आरटीओ चौराहे पर आये तभी जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि थाना सिविल लाइन के रिगालिया कालौनी मे लूट की घटना के बदमाश लूटे गये माल के बटवारे के लिये सम्राट आशोक चौराहे से विल्सी रोड पर नवीन जेल की खाली पडी जगह मैने रोड से करीव 200 मीटर नयी जेल की जगह में बैठे है लूट के माल के बटवारे की वार्ता कर रहे है उनके पास लूट का माल है व नाजायज शस्त्र भी हो सकते है यदि शीघ्रता की जाये तो पकडे जा सकते है । इस सूचना पर यकीन कर थाना हाजा की द्वितीय मोबाइल में ड्यूटी मे मामूर उ0नि0 नीरज कुमार मय पिस्टल 18442045 मय 10 कारतूस व उ0नि0 अनन्त आमौरिया HPY582 मय 10 कारतूस का0 1798 अंकित कुमार व का0 837 पुष्कर मावी व का0 1806 संजय सिंह मय गाडी सरकारी यूपी UP24G0303 मय चालक हे0का0 394

Digitally signed by Reena Sharma
Date: 2026.03.19 16:50:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भुवनेश्वर सिंह को तलविदा हमराह लेकर जनता गवाह फराहम करने की कोशिश की गयी तो रंजिश हो जाने के कारण कोई भी जनता का व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नही हुआ और बिना नाम पता बताये चलते गये। मजबूरन हम पुलिस वालो ने मय मुखबिर के एक दूसरे की जामा तलाशी ले दे कर यकीन किया व कराया कि किसी के पास जुर्म जरायम से सम्बन्धित कोई वस्तु नही है। इसके पश्चात हम लोग मय मुखबिर के उसके बताये स्थान विल्सी रोड नवीन जेल की जगह की तरफ आये तो बताये स्थान से करीव 250 मीटर पूर्व सरकारी वाहन मय चालक रास्ते के किनारे पेड की आड मे खड़ी कर पैदल पैदल अपने को छिपते छिपाते दबे पांव मुखबिर के बताये स्थान के निकट आये तो आड से देखा कि कुछ व्यक्ति आपस मे दबी जबान से बात करते मौजूद दिखायी दिये मुखबिर ने इशारे से बताया कि यह वही बदमाश है और वापस मुड़कर चला गया। तभी हम पुलिस वालो ने पुलिस टैक्टिस का प्रयोग करते हुए सिखलाये हुए तरीके से निकट जाकर इन व्यक्तियों को टोका और ऊंची आवाज मे चेतावनी देकर कहा कि हम पुलिस वाले है। इतना सुनते ही इनमे से एक व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा कि यह पुलिस बाले है हमे पकडने आये है तुरन्त गोली चलाओ यह बचने ना पाये इस पर इन सभी तीनो व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर हम पुलिस वालो को जान से मारने की नीयत से अपने अपने हाथो मे लिये शस्त्रो से हमारे ऊपर अन्धाधुन्ध फायरिंग कर दी, जिससे हम पुलिस वाले बाल बाल बचे । मुझ प्रभारी निरीक्षक ने हमराह फोर्स को सतर्क करते हुए जरिये दूरभाष कन्ट्रोल रूम को घटना की सूचना दी और तुरन्त मौके पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा । बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से की गयी अचानक से फायरिंग से विचलित ना होकर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा पुनः ऊंची आवाज में बदमाशो को ललकार कर अपना परिचय देते हुए कहा गया कि मैं हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन है। तुम अपने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो। इस चेतावनी का बदमाशो पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि इसके बाद भी इन बदमाशो ने हम पुलिस वालो को जान से मारने की नीयत से लगातार फायरिंग करते रहे। इसी दौरान बदमाशो की एक गोली मुझ प्रभारी निरीक्षक के सीने में लगी मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा बुलटप्रूफ जाकेट पहने होने के कारण शीने में गोली असर नहीं कर सकी। तभी कुछ देर बाद मेरे हमराह का0 773 दीपक ने चिल्लाकर कहा कि मुझे गोली लग गयी है। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा अपनी जान की परवाह ना करते हुए अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देकर बदमाशों को ओवर पावर व गिरफ्तार करने के उद्देश्य से आत्मरक्षार्थ न्यूनतम फायर किये गये, जिनमें मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल नं0 HPY661 से दो फायर, हमराह उ 0 नि0 श्री गौरव कुमार ने अपनी सरकारी पिस्टल नं0 18441982 से एक फायर एंव उ०नि0 नीरज कुमार ने अपनी सरकारी पिस्टल नं0 18442045 से एक फायर किया। तभी बदमाशो की तरफ से चीखने व कराहने की आवाज आयी। तब हम पुलिस वालो ने सतर्कतापूर्वक सीखे हुये तरीके से धीमे धीमे मौके पर जाकर टार्चों की रोशनी डालकर देखा तो पाया कि तीन बदमाश थोडी थोडी दूरी पर जमीन पर गिरे पडे है और कराह रहे है। पास जाकर क्रमशः इनसे नाम पते पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इनमे से एक ने अपना नाम दीपक गौतम उर्फ मोनू पुत्र स्व० हंसराज सिंह निवासी ग्राम सकरी जंगल थाना उझानी जनपद बदायूँ, हालपता जिला परिषद कालोनी थाना सिविल लाइंस बदायूँ उम्र करीब 29 वर्ष बताया, जामा तलाशी से इसके दाहिने हाथ मे पकड़ा एक अदद तमंचा देशी 315 बोर (हुलिया फर्द/प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार) चालू हालत मे बरामद हुआ बरामदा तमंचे की नाल को खोल कर देखा तो इसके चैम्बर मे एक खोखा कारतूस 315 बोर का फंसा है जिसमे ताजे चले कारतूस की बारूदी गन्ध आ रही है व इसके पहने हुए नीले रंग की जीन्स की दाहिनी जेब से 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर व इसी जीन्स के बाई जेब से 18640 रूपये जिसमे 37 नोट 500 रूपये के 02 नोट 50 रू0 के 02 नोट 20 रू0 के व इसी के कब्जे से बरामदा एक पिट्ठू बैग नीले रंग का जिस पर लाल डिजाइन बना है जिस पर अग्रेजी मे FASTRACK लिखा है, जिसके अन्दर एक अदद लैपटाप सोनी कम्पनी जो पीछे से छतिग्रस्त है व सफेद धातु की 03 जोडी पायल व एक सफेद धातु का गदानुमा जिसमे दो गुंघरू लटके है बरामद हुए । दूसरे बदमाश ने अपना नाम सन्तोष यादव पुत्र अजयपाल यादव निवासी मीरा सराय (देवनगर कालौनी) थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ उम्र 24 वर्ष बताया इसकी जामा तलाशी से इसके दाहिने हाथ में पकडा एक अदद तमन्चा देसी 315 बोर (हुलिया फर्द/प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार) चालू

हालत में बरामद हुआ नाल को खोल कर देखा तो नाल के चैम्बर मे एक खोखा कारतूस 315 बोर का फंसा है, जिसमें ताजे चले कारतूस की बारूदी गन्ध आ रही है व इसी के पहने आसमानी रंग की जीन्स पैन्ट की दाहिनी जेब से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व इसी पैन्ट की बाई जेब से 13800 रूपये 27 नोट 500 रूपये के 01 नोट 200 रू0 का व 01 नोट 100 रू0 का व इसी के कब्जे से एक पिट्ठू बैग काले रंग का जिसमे एक लाल रंग का पर्श जिस पर टीकाराम एण्ड सन्स टिकट गंज बदायूँ तथा मो0 न 0 अकित है एक हैन्ड पर्श ब्राउन कलर, एक हैन्ड पर्श वादामी कलर जिसके ऊपर पीले चाबी का खाली छल्ले पडे है, तथा लाल नीले हरे पीले रंग के 10 पैसे रखने के खाली लिफाफे व एक सैमसंग गलैक्सी फोन का खाली डिब्बा जिस पर GALAXY F54 5G लिखा है व एक मोवाइल फोन सैमसन्ग कम्पनी काला रंग व एक कीपैड मौबाइल हीरो कम्पनी का रंग गहरा नीला व एक घडी मेड इन स्वीस सुनहरे डायल की जिसमे ब्राउन कलर के चमडे का फीता लगा है व एक सफेद कुर्ती जिस पर लाल पीला गोल फूल बना है व पीली धातु मंगलसूत्र छोटे मोतियो की माला मे तीन लाकेट पडे है व सफेद धातु की 02 जोडी पायल बरामद हुई है। व तीसरे बदमाश ने अपना नाम जसविन्दर उर्फ काके पुत्र बक्शी निवासी दद्दोबसी सदर होशियारपुर पंजाब, हाल निवासी कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूँ बताया इसकी जामातलाशी से इसके दाहिने हाथ मे पकडी एक अदद पिस्टल लाइसेन्सी 32 बोर नं0 189112032 मय एक अदद मैगजीन व इसी के कब्जे से इसके पास पडा एक अदद तमन्चा देसी 315 बोर (हुलिया फर्द/प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार), जिसमे ताजे चले कारतूस की बारूदी गंध आ रही है। इसी के पहने नीले रंग के लोअर की दाहिनी जेव से 02 अदद जिन्दा कारतूस व 18200 रुपये जिसमे 36 नोट 500 रू0 के 01 नोट 100 रू0 का व 02 नोट 50 रू0 के व 01 अदद मोबाइल इनफिनिक्स कम्पनी का ग्रे कलर का बरामद हुए तथा अभियुक्त से एक बैग ग्रे कलर का जिस पर TOUH लिखा है तथा वैग में रखा काले रंग का छोटा बैग जिस पर अग्रेजी मे NIKON लिखा है बैग के अन्दर एक कैमरा NIKON कम्पनी का व 01 लीड व 01 चार्जर स्वीच व एक छोटे ब्राउन कलर के पर्श जिस पर मै० श्री जी ज्वैलर्स एंव बस्त्र भण्डार लिखा है, की चैन को खोल कर देखा गया तो उसमे पीली धातु का 01 सिल्ली गुटका जिसकी लम्बाई करीब 02 सेन्टीमीटर है व पीली धातु की एक पतली चैन मय लाकेट व एक छल्ला तावा व पीली धातु मिक्स, 01 अंगूठी पीली धातू जिसमे सफेद मोती लगे है, 01 पीली धातु का टापस, 01 अंगूठी सफेद धातु की जिस पर एस लिखा है, 01 छल्ला सफेद धातु का, 01 जोड बिछुआ सफेद धातु के जिसमे सफेद लाल हरे मोती लगे है , 01 जोड सफेद धातु की पायल व सिंगल 01 जेवरी सफेद धातु की बरामद हुआ । घटना स्थल पर करीव 10 मीटर की परिधि से जमीन पर पडे 04 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 04 अदद खोखा कारतूस 32 बोर पिस्टल के तथा प्रभारी निरीक्षक की बुलटप्रूफ जाकेट मे लगी गोली का 01 बुलेट बरामद हुए तथा पुलिस पार्टी द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल 9 एमएम से अलग अलग किये गये 04 फायर के खोखा कारतूस छिटक कर कही गिर गये जो रात अधेंरा होने कारण काफी तलाश के बाद भीं नहीं मिले अकव से तलाश किये जायंगे। बदमाशो से मौके पर संक्षिप्त पूछताछ करते हुए इनके कब्जे से मिले तमन्चों व लूटी हुई लाइसेन्सी बरामद पिस्टल व खोखा कारतूस के व बरामदा माल के कागजात तलब किये तो दिखाने में असमर्थ रहे और लूट की घटना को मिलकर करना स्वीकार करते हुए अपने चौथे साथी का नाम पप्पू निवासी मुरादाबाद बताया और स्वयं के पास बरामद पिस्टल, लेपटाप, मोबाइल, जेवरात व नगद रूपये आदि को रिगालिया कालौनी के एक महिला के घर से लूटना बताया । यह भी बताया कि हम तीनों व हमारे चौथे साथी पप्पू ने मिलकर पूर्व मे बनायी योजना के अनुसार तीन चार दिन पहले शाम के समय रिगालिया गार्डन के पास बदायूँ मे एक महिला के घर मे घुस कर उस महिला को अन्दर खीच कर डराधमका कर उसकी अलमारी से 01 लाइसेन्सी पिस्टल व 01 लैपटाप व 02 मोवाइल फोन व पीली व सफेद धातू के जेवरात व नगदी लूट कर ले गये थे। हम तीनो लोग आज लूटे गये माल के बंटवारे व हिसाब किताब करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि पकडे गये । चौथे साथी पप्पू के पिता का नाम व पता नहीं जानते है बस इतना जानते है कि वह (पप्पू) मुरादाबाद का रहने वाला है। यह पप्पू हमारे साथ यकायक शामिल हो गया था। गलती हो गयी माफी चाहते है। इसी दौरान आसपास खेतो मे जनता के व्यक्तियो को गवाही हेतु तलाश गया गया क्योकि शर्दी का मौसम कोहरा एंव रात्रि का वक्त होने कारण जनता का कोई भी व्यक्ति

दिखाई नही पडा। चूँकि ये बदमाश थाना हाजा के मु0 अ 0 सं0 611/25 धारा 309 (4) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त है अभियुक्त गण से मुकदमा उपरोक्त मे लूटी गयी सम्पत्ती बरामद हुई है तथा अपराध समान्य उद्वेश्य की पूर्ति के लिए किया गया है अभियोग मे बरामदगी के आधार पर धारा 317 (2) व 3 (5) बीएनएस की वृद्धी की जाती है तथा इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी है तथा इनके कब्जे से अवैध शस्त्र व कारतूस एंव घटना में लूटी गयी सम्पत्ति लैपटाप , मोबाइल, जेवरात व पिस्टल मय मैगजीन व नगदी इत्यादि बरामद हुए है । तीनो बदमाश घायल अवस्था में है तथा पुलिस पार्टी में शामिल पुलिस कर्मी का0 773 दीपक भी घायल है। इन पकडे गये बदमाशो में से दीपक गौतम उर्फ मोनू की दाहिनी टांग मे व सन्तोष के बाये तथा जसविन्दर उर्फ काके के दोनो पैरो मे खूनालूदा चोटे लगी है जिनसे खून बह रहा है। घायल पुलिस कर्मी का0 773 दीपक के चोट खूनालूदा है। अतः इन सभी का उपलब्ध साधनो से प्राथमिक उपचार किया गया । अतः इन बदमाशो को बिना विलम्ब किये इनके जुर्म धारा 309(4) / 317(2) / 3(5) बीएनएस व 109 (1) बीएनएस व धारा 3/25 (1-b) (a)/27 आर्म्स एक्ट से अवगत कराकर समय करीब 21.50 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

3- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र में यह आधार लिया गया है कि उक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में पुलिस द्वारा झूठा नामजद किया गया है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों जैसा प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। सम्बन्धित मु0 अ 0 सं0-611/2025, धारा-309 (4), 317(2), 315 बी०एन०एस० में प्रार्थी की जमानत श्रीमान जी के न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा घर से बुलाकर फर्जी पुलिस मुठभेड़ दर्शाकर प्रार्थी का चालान कर दिया जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त कथित घटना के सहअभियुक्त दीपक गौतम उर्फ मोनू की जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी नाजायज वस्तु (तमंचा, कारतूस) की बरामदगी नहीं हुई थी, पुलिस द्वारा प्रार्थी पर जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह एकदम असत्य है। प्रार्थी/अभियुक्त कथित घटना का कोई भी जनता का साक्षी पुलिस पार्टी द्वारा नहीं बनाया गया है जिससे घटना संदिग्ध है। कथित घटना से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.12.2025 से जिला कारागार बदायूँ में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त दौराने विचारण मुकदमा प्रार्थी के भागने एवं सबूत गवाहन तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। पश्चात जमानत प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही किसी गवाह को भय दिखायेगा और न किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देगा तथा माननीय न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र के आधार पर दौराने विचारण मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश करें।

4- विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा हत्या का प्रयास जैसा अपराध कारित करने का कृत्य किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

5- उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर फायर कर जान से मारने का प्रयास करने एवं मु.अ.सं.-611/2025 में लूटे गया माल बरामद होने का आरोप लगाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र सिंह द्वारा मु.अ.सं.-611/2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण की तलाश के दौरान अभियुक्तगण से मुठभेड़ होने पर अभियुक्तगण द्वारा अपने हाथ में लिये शस्त्रों से जान से मारने की नीयत से अन्धाधुंध फायरिंग होना तथा चेतवानी के उपरान्त भी लगातार फायरिंग होने एवं पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ कुल 04 फायर होने का तथ्य अंकित है। अभियोजन कथनानुसार इस मुठभेड़ में का० 773 दीपक को एक गोली लगने से घायल होने तथा तीनों अभियुक्तगण को गोली लगने से घायल होने का भी तथ्य मौजूद है। जबकि मौके से तीन खोखा कारतूस तमंचों से तथा चार अन्य खोखा कारतूस बरामद होना फर्द में

अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध का० 773 दीपक की चिकित्सीय आख्यानुसार उसे एक चोट साधारण प्रकृति की होना दर्शित है, जबकि अभियुक्त संतोष यादव व अन्य अभियुक्तगण को फायरआर्म्स से गंभीर चोटें आना उनकी चिकित्सीय आख्या के अनुसार मौजूद है। अभियुक्तगण से तथाकथित बरामदगी के दौरान जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है, न ही उक्त बरामदगी की कोई वीडियोग्राफी किये जाना पत्रावली पर मौजूद है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में मु.अ.सं.–611/2025 में अभियुक्त की जमानत होने का कथन किया है, जिसके विपरीत अभियोजन की ओर से कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। सह–अभियुक्त दीपक गौतम उर्फ मोनू की जमानत दिनांक–20–02–2026 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक–24–12–2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः इस स्तर पर मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **संतोष यादव** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 50,000/– रु. (पचास हजार रुपये)** का निजी बंध पत्र तथा इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाये कि–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त गवाहान को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचन एवं कथन अंतर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आयेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5– अभियोजन साक्षीगण जब न्यायालय में उपस्थित आयेंगे, तो उनसे जिरह करने हेतु प्रार्थी/अभियुक्त कोई भी स्थगन प्रा.पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

(रेखा शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्र.क्षेत्र), बदायूँ।
जे.ओ. कोड– यू.पी. 02409